छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 353/2006

कु0 रोशनी मिश्रा,
आत्मजा–श्री आर. एम. मिश्रा,
एच.आई.जी. 2361, सी.जी.एच.बी.आई.ई., ... अपीलार्थी
भिलाई, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 20 दिसम्बर 2006)

कु0 रोशनी मिश्रा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–19 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा दिनांक 5–7–2006 को जन सूचना अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल को आवेदन–पत्र देकर हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा (10+2) के परिणाम घोषित होने के पश्चात् भौतिकी तथा रसायन (सैद्धांतिक) विषय के उत्तरपुस्तिकाओं के निरीक्षण की अनुमति मांगी थी। दिनांक 22–7–2006 को जन सूचना अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के द्वारा उसे सूचित किया गया कि उसका परीक्षाफल बाद में इसलिए घोषित किया गया, क्योंकि सैद्धांतिक विषय जीव विज्ञान के अंक प्राप्त नहीं हुए थे। प्रकरण पूर्ण कर अपीलार्थी को अंकसूची भेजी गई। उसे यह भी सूचित किया गया कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के भी विनियम रेगुलेशन की धारा–119 (2/3) एवं विनियम–148 के उपविनियम (2/3) में उत्तरपुस्तिका के छायाप्रति उपलब्ध कराने हेतु नियम निर्धारित हैं, जिसके अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदान की जाती। इस पत्र से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपील, विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। विभागीय अपीलीय अधिकारी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्रकरण की सुनवाई के लिए अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। निर्णय न होने के फलस्वरूप अपीलार्थी ने द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है।

3/ अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि सूचना का अधिकार के अंतर्गत उसे अभिलेख अवलोकन करने की अनुमति दी जाना चाहिए थी। प्रतिअपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति प्रदान करने के लिए नियम बनाये हैं, उन नियमों के अनुसार ही अपीलार्थी को उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रतियां नियमानुसार निर्धारित अवधि में शुल्क जमा करने पर प्रदान की जा सकती हैं। नियमों से हटकर प्रतिलिपि प्रदान किये जाने का औचित्य नहीं है। प्रतिअपीलार्थी ने यह भी बतलाया कि उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति नियमों से हटकर प्रदान करने से कठिनाई होगी।

प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के द्वारा आयोग को यह भी सूचित किया गया कि आवेदक ने दिनांक 8–7–2006 को भौतिकी तथा रसायन शास्त्र के लिए 200/– रूपए का ड्राफ्ट पुनर्गणना/अंक सत्यापन हेतु आवेदन दिया। माध्यमिक शिक्षा मण्डल के द्वारा पुनर्गणना कराई गई। आवेदक के अंकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आवेदक ने उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति के लिए प्रति विषय रूपए 500/– के ड्राफ्ट के साथ दिनांक 28–8–2006 को आवेदन दिया। उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष के माध्यम से आवेदक को दिनांक 5–9–2006 को भेजी गई। आवेदक के द्वारा पुनर्मूल्यांकन हेतु रूपए 1000/– के ड्राफ्ट (दो विषयों के लिए) सहित आवेदन दिया। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा तीन विषय–विशेषज्ञों के द्वारा पुनर्मूल्यांकन कराया गया। पूर्व के अंकों में 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक को कोई परिवर्तन नहीं होने की सूचना दिनांक 15–11–2006 को भेजी गई।

4/ उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आवेदिका को माध्यमिक शिक्षा मण्डल के नियमों के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर उसके द्वारा वांछित सभी जानकारियां प्राप्त हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने उसके प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 5–7–2006 के संदर्भ में निर्धारित अवधि के अंदर दिनांक 22–7–2006 को निर्धारित जानकारी से संबंधित नियमों का उल्लेख करते हुए सूचना दे दी है। अतः जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। चूँकि आवेदिका को वांछित सभी जानकारियां प्राप्त हो चुकी है। अतः इस अपील प्रकरण में अब किसी अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त